

Entry

असल अधिकारी का कार्यालय इलाहाबाद

जमाबंदी सूची संशोधन क्र. 227

2016-17

यह सूची संशोधन - बिहार सरकार की सुझाव क्र. 182 के तहत 2016-17 के लिए जमाबंदी सूची में संशोधन

29/11/16

आवृत्त संस्कार के अन्तर्गत-2014-15 के तहत 1308/2014 संशोधन के अन्तर्गत निम्नलिखित सु-अर्जन-सूचि-विभाग संशोधन सूची में सुझाव क्र. 182 के तहत 2016-17 के लिए जमाबंदी सूची में संशोधन किया गया है।

प्लॉट नं. 182 का.सं. 62

रकबा 0.66 एकड़ भूमि जो परमजकाब खत अन्तर्गत बिहार सरकार के खाने की सरकारो भूमि है जिसकी जमाबंदी उस भूमि के तहत जमाबंदी सूची में शामिल है।

श्री. ब्रजेश

हस्ता समझौते पर अन्तर्गत निम्नलिखित द्वारा अधिप्राप्त जमाबंदी सूची में संशोधन किया गया है।

हस्ता समझौते पर अन्तर्गत निम्नलिखित द्वारा अधिप्राप्त जमाबंदी सूची में संशोधन किया गया है।

यहां सूचना उपरोक्त के तहत है कि उपरोक्त विवरणों को जमाबंदी सूची में शामिल करने के लिए जमाबंदी सूची में संशोधन किया गया है।

अतः संबंधित जमाबंदी सूची को संशोधित किया जा रहा है।

अभिनेता विभाग

का कार्यालय है।

सहायक एवं सहायक

असल अधिकारी
इलाहाबाद

29/11/16
असल अधिकारी
इलाहाबाद

वैशेष लक्षिता हेतु पाठ्या
- 29/11/16 14:45

9/8/16

अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/खतियान एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो।

अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा ककी जाती है।

अग्रतर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समोहर्ता धनबाद को भेजे।

9/8/16
अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर
वाद अमिलेख संख्या- 227/2018 (अन्तर्गत धारा-4(b), B.L.R Act, 1950)

सूचना

बनाम

श्रीमती राजा महतो, पिता महता राम महता
श्रीमती लक्ष्मी देवी

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि सीमा-
खाता नं- 62 खेसरा नं- रकबा 0.66 एकरा पर दर्ज जमावदी प्रथम दृष्टया
हो नं- के पत्नी-11 भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमावदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अचल निरीक्षक के माध्यम से जॉकोपरान्त सदित्थ प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 9/8/16 को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा मूलपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने को बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य डॉस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अवैहस्तावती के कार्यालय प्रवेश में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सतद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में सगझा जावेगा कि उक्त सला में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमावदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लते हुए निश्चिन्ता अनुभव कर दी जावेगी।
इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि-

मुहर

स्थान-

अचल अधिकारी

बलियापुर

rob... \Users\NIP\Desktop\blncd st\court case.doc

विद्या सागर महतो

बालिका बालिका सीमा
- 10/8/16 11:49 AM
06/8/16